

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद।

वाच संख्या 143/2012-13

घारा-143 ज०वि० अधिनियम

सतीश चन्द आदि

बनाम

उ०प्र० सरकार

मौजा- आसफाबाद तहसील व जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

सतीश चन्द व सुभाष चन्द व राहुल पुत्रगण ऊदल सिंह व श्रीमती मावादेवी पत्नी ऊदल सिंह व ऊदल सिंह महाविद्यालय आसफाबाद द्वारा सचिव प्रबन्धक सतीश दिवाकर पुत्र ऊदल सिंह नि० नौ० गांधीनगर तहसील व जिला फिरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय सपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उचित किया गया है कि प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकबा 0.400 है० लगानी 12.60 रु० सालाना भूमि के स्वामी व संकमणीय भूमिधर कारस्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। उक्त आराजी को आराजी प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सदर से करायी गई। तहसीलदार सदर फिरोजाबाद द्वारा मौके की जांच कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप पर मय नक्शा नजरी न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है। जिसने उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकबा 0.400 है० लगानी 12.60 रु० सालाना भूमि के स्वामी व संकमणीय भूमिधर कारस्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। ज०वि० अधिनियम की घारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फिरोजाबाद की आख्या से स्पष्ट है कि मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकबा 0.400 है० लगानी 12.60 रु० सालाना भूमि के स्वामी व संकमणीय भूमिधर कारस्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि से निन्त है। अतः उक्त आराजी को ज०वि० अधिनियम की घारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकबा 0.400 है० लगानी 12.60 रु० सालाना भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त की जाती है। नक्शा नजरी आदेश का नाम रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित करे तथा एक प्रति उप निबन्धक फिरोजाबाद को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दायित्व दफ्तर की जाये।

दिनांक 04.05.13

(सतीश पाल)

असि०कलेक्टर प्रथम श्रेणी /
उप जिलाधिकारी, सदर,
फिरोजाबाद।

RK/RP/SRP/04-05-2013/2013



(Signature)

श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति

38 गांधी नगर फिरोजाबाद